कार्यकारी सार

अध्याय 1 – प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है एवं सम्पर्क बढ़ाने हेतु राज्य ने सड़क सेक्टर में विगत वर्षों में अत्यधिक निवेश किया है। इसके बावजूद, प्रति लाख जनसंख्या मार्ग घनत्व के सम्बन्ध में प्रदेश 25वें स्थान पर एवं प्रति 100 वर्ग किलोमीटर घनत्व के सम्बन्ध में 9वें स्थान पर है। प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों यथा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के अन्तर्गत मार्गों की लम्बाई 2,03,457 किलोमीटर थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग कार्यों का क्रियान्वयन ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011–16 की अवधि में विभिन्न श्रेणी के मार्गों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर ₹ 40,854.63 करोड़ का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को छोड़कर किया गया। लगभग 77 प्रतिशत धनराशि का उपयोग वर्तमान मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण पर एवं शेष 23 प्रतिशत धनराशि नये मार्गों के निर्माण पर उपयोग की गयी। राज्य सरकार द्वारा टेण्डरिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा असमाजिक तत्वों का निर्माण कार्यों में हस्तक्षेप रोकने हेतु, 2007 में टेण्डर प्रणाली में कई संशोधन किये गये। राज्य सरकार द्वारा विगत पाँच वर्षों में सड़कों के निर्माण पर किये गये भारी निवेश एवं पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण हेतु बड़ी धनराशि का ऋण बाजार से लेने के कारण यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि व्यय पारदर्शिता के साथ विवेकपूर्ण एवं कुशल तरीके से किया गया था जिससे प्रदेश में प्रभावी सड़क सम्पर्क स्थापित करने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इसलिए लेखापरीक्षा ने विभाग के टेण्डर प्रणाली एवं सड़क कार्यों के अनुबन्ध प्रबन्धन की एक व्यापक निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया। लेखापरीक्षा में टेण्डरिंग/अनुबन्ध प्रबन्धन के विभिन्न स्तरों का मूल्यांकन यह जाँच करने के लिए किया कि समस्त टेण्डर प्रणाली एवं अनुबन्ध प्रबन्धन प्रक्रिया का निष्पादन पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से नियमानुसार किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा टेण्डर प्रणाली एवं अनुबन्ध प्रबन्धन के सभी स्तरों पर गम्भीर अनियमिततायें पायी गयीं। मार्गों की डिजाइन एवं लागत अनुमान तैयार करने में मूल मापदण्डों का पालन नहीं किया गया। टेण्डरिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा का अभाव था। बड़ी संख्या में ऐसे ठेकेदारों को तकनीकी मूल्यांकन में सक्षम घोषित किया गया जो कि न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते थे एवं अनेक जनपदों में मुख्य अनुबन्धों में कपट संधि पूर्ण टेण्डरिंग के स्पष्ट संकेत थे। अवैध खनन की सामग्रियों का प्रयोग रोकने के शासकीय निर्देशों का पालन नहीं किया गया। ठेकेदारों को अनुचित लाभ एवं छूट प्रदान करने के बहुत से प्रकरण थे। गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा शासकीय हित की रक्षा करने में पूर्ण उदासीनता पायी गयी।

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों को प्रतिवेदन के अध्याय 2 से अध्याय 11 में सम्मिलित किया गया है जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

अध्याय 2 – नियमों का ढांचा

नियमों के वर्तमान ढांचे एवं प्रक्रियाओं में गम्भीर कमियाँ थीं तथा अनेक क्षेत्रों जैसे एकल निविदा की स्थिति, टेण्डरों का व्यापक प्रचार–प्रसार करना, ठेकेदारों के टेण्डर

क्षमता का आकलन, ठेकेदारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, अग्रिमों की स्वीकृति, निविदादाताओं से निगोसियेशन, आदि से सम्बन्धित नियम सर्वोत्तम प्रथाओं के संगत नहीं थे। इससे न केवल शासकीय हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ बल्कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने में प्रावधानों में कमियों ने सहायता की।

(प्रस्तर 2.2 एवं 2.3)

अध्याय 3 – मार्ग विकास नीति एवं नियोजन

लोक निर्माण विभाग अन्वेषणालय जो कि मार्ग डिजाईन एवं गुणवत्ता जाँच हेतु उत्तरदायी था, का सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया था एवं इसमें इक्विपमेण्ट एवं मानव शक्ति दोनों की गम्भीर कमी थी।

(प्रस्तर 3.1.1)

अधिकतर सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य बिना उचित ढंग से आवश्यकता का आकलन किये सम्पादित कराया गया क्योंकि 17 जनपदों के 38 प्रतिशत नमूना जाँच किये गये कार्यों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव निर्धारित ट्रैफिक गणना प्रतिवेदन पर आधारित नहीं थे। सड़कों का नवीनीकरण भी निर्धारित नीति मानकों के अनुसार नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.1.3)

सड़कों के किनारे सघन पौधरोपण द्वारा पर्यावरण सुरक्षा का नीति उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 170 में 168 प्राक्कलनों के ₹ 47.87 करोड़ के वृक्षारोपण के प्रावधान को पूर्ण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.1.5)

सड़कों के निर्माण में नियोजन का पूर्ण अभाव था। न तो कोई पंचवर्षीय युक्तिपूर्ण योजना एवं न ही वार्षिक योजनायें बनायी गयी थीं। शासन द्वारा सड़क कार्यों का चुनाव एवं स्वीकृति तदर्थ आधार पर की गयी थी एवं स्वीकृतियों में कार्य पूर्ण करने की तिथि तक अंकित नहीं थी।

(प्रस्तर 3.2.1)

अध्याय 4 – वित्तीय प्रबन्धन एवं दर–अनुसूची का पुनरीक्षण

विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर वर्ष 2011–16 की अवधि में ₹ 40,854.63 करोड़ का व्यय किया गया था एवं ₹ 2,075.92 करोड़ समर्पित किया गया था।

(प्रस्तर 4.1)

शासन द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति बिना कार्य पूर्ण होने के समय–सीमा एवं एक निश्चित समय–सीमा के अन्दर धन की अवमुक्ति की प्रतिबद्धता के किया गया। शासन अनुबन्ध के सापेक्ष समय से धन अवमुक्त करने में विफल रहा। फलस्वरूप, 89 प्रतिशत चयनित कार्य (98 अनुबन्धों में से) 57 माह तक विलम्बित रहे।

(प्रस्तर 4.1.3 एवं 4.1.2)

दर–अनुसूची जो कि परियोजना लागत के निर्धारण का आधार होती है, अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा अतार्किक ढंग से तैयार की गयी। लोक निर्माण विभाग के विभिन्न वृत्तों द्वारा एक ही खदान के समान निर्माण सामग्री के अलग–अलग आधार मूल्य लिये गये।

(प्रस्तर 4.3.1)

अध्याय 5 – लागत अनुमान एवं कार्यों की स्वीकृति

सड़कों की डिजाईन बनाने एवं उनके निर्माण में इण्डियन रोड कांग्रेस के विशिष्टियों एवं मापदण्डों का घोर उल्लंघन किया गया। 78 कार्यों (88 प्रतिशत) जिनकी लागत ₹ 2,350.32 करोड़ थी, में मृदा की जाँच नहीं की गयी थी, पेवमेण्ट की स्थिति ज्ञात नहीं की गयी एवं डेफ्लेक्शन जाँच नहीं की गयी। पुनः, 51 कार्यों (81 प्रतिशत) जिनकी लागत ₹ 970.95 करोड़ थी, में बिना ट्रैफिक गणना किये सड़कों की डिजाईन तैयार की गयी एवं चौड़ीकरण का कार्य कराया गया।

इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों का पालन न करने के कारण सड़कों की डिजाईन एवं लागत अनुमान तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शी थी एवं इससे अधोमानक सड़कों का निर्माण, गलत लागत अनुमान, शासन को हानि एवं ठेकेदारों को अनुचित सहायता का जोखिम था। नमूना जाँच किये गये जनपदों में कार्यों के सम्पादन में विभिन्न कमियां पायी गयीं।

(प्रस्तर 5.1.4, 5.1.2 एवं 5.2)

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच किये गये 49 सड़क कार्यों में से किसी में भी सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की गयी थी। इससे स्पष्ट था कि सड़कों की डिजाईन तैयार करते समय एवं कार्यों के सम्पादन के समय सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं नियमों की पूर्णतया अनदेखी की गयी।

(प्रस्तर 5.1.8)

अधिशासी अभियन्ताओं ने वर्ष 2011–16 में अपनी प्राधिकार क्षमता ₹ 40 लाख से अधिक के 14 नमूना जाँच किये गये जनपदों में 215 कार्यों, जिनकी लागत ₹ 217.23 करोड़ थी, की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। इनमें से प्रत्येक कार्य की लागत ₹ 40.22 लाख से ₹ 4.48 करोड़ के मध्य थी।

(प्रस्तर 5.4)

अध्याय 6 – निविदा–आमंत्रण

कोई भी निविदा तब तक आमंत्रित नहीं की जा सकती जब तक कि कार्य का क्षेत्र निर्धारित न हो एवं कार्यं की लागत शासन द्वारा स्वीकृत न कर दी गयी हो एवं प्रशासकीय अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति निर्गत न कर दी गयी हो। लेखापरीक्षा में नमूना जाँच में पाया गया कि ₹ 3,071.45 करोड़ के 96 कार्यों (56 प्रतिशत) के टेण्डर अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा शासन की प्रशासकीय अनुमोदन/ वित्तीय स्वीकृति के पूर्व आमंत्रित किये गये।

इसी प्रकार, अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा ₹ 4,184.74 करोड़ लागत के 156 कार्यों (92 प्रतिशत) के टेण्डर नोटिस तकनीकी स्वीकृति के पूर्व (872 दिन तक) निर्गत किये गये। पुनः, ₹ 3,333.61 करोड़ लागत के 105 कार्य (62 प्रतिशत) की वित्तीय निविदायें भी तकनीकी स्वीकृति के पूर्व (823 दिन तक) खोली गयीं। इससे अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा टेण्डरिंग के मूल नियमों का घोर उल्लंघन परिलक्षित होता है।

(प्रस्तर 6.2.1 एवं 6.2.2)

टेण्डरों के प्रकाशन से सम्बन्धित शासन के निर्देशों के उल्लंघन में अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा ₹ 1,655.36 करोड़ के 81 टेण्डर नोटिसों को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क को प्रेषित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 6.2.4)

अध्याय 7 – बिड मूल्यांकन एवं ठेकेदारों का चयन

सड़क कार्यों में निविदायें अधिकतर प्रतिस्पर्धात्मक नहीं थीं तथा ऐसी निविदाओं (एक या दो निविदायें) की संख्या वर्ष 2011–12 में 63 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 77 प्रतिशत हो गयी।

प्रत्येक जनपद में पंजीकृत ठेकेदारों की बड़ी संख्या के बावजूद लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011–16 की अवधि में ₹ 3,300.79 करोड़ लागत के 598 अनुबन्ध (75 प्रतिशत) एक या दो निविदाओं के आधार पर गठित किये गये एवं निविदायें पुनः आमंत्रित नहीं की गयीं। पंजीकृत ठेकेदारों की बड़ी संख्या के बावजूद अधिकतर टेण्डरों में एक या दो निविदाओं का प्राप्त होना पूरे प्रदेश में कपटपूर्ण निविदा का द्योतक है।

(प्रस्तर 7.1)

नियमों में प्रावधानित है कि निगोशियेसन असाधारण मामलों में किया जायेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये 331 अनुबन्धों में से (अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा निष्पादित) ₹ 3,886.87 करोड़ (71 प्रतिशत) के 234 अनुबन्धों में निगोशियेसन किया गया। इससे संकेत मिलता है कि निगोशियेसन अपवाद के बजाय नियम बन गया था। इससे टेण्डर प्रक्रिया भ्रष्ट हो जाती है।

(प्रस्तर 7.2)

नमूना जाँच किये गये 331 अनुबन्धों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिकतर ठेकेदारों ने या तो आवश्यक अभिलेख (जैसे कि हैसियत, चरित्र, अनुभव, टर्नओवर/अदेयता प्रमाण–पत्र, टेण्डर क्षमता विवरण, मशीनरी एवं तकनीकी स्टाफ के साक्ष्य, श्रम विभाग का पंजीकरण, आदि) संलग्न नहीं किये थे अथवा दिये गये अभिलेखों में कमियॉ थी। इसके बावजूद, उन ठेकेदारों को तकनीकी मूल्यांकन में सफल घोषित किया गया एवं उनके साथ अनुबन्ध गठित किये गये।

(प्रस्तर 7.3)

बड़ी संख्या में साँठ–गाँठ/संदिग्ध निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अनुबन्ध गठन के प्रकरण पाये गये। अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर वृत्त के द्वारा वर्ष 2011–16 की अवधि में ₹ 101.70 करोड़ के 128 अनुबन्धों में, केवल दो निविदादाताओं द्वारा भाग लिया गया और समान दरों को निविदा में निगोशियेसन के बाद अंकित किया गया। इसी प्रकार, अधीक्षण अभियन्ता, बस्ती वृत्त के द्वारा इसी तरह अन्तिम रूप से लगायी गयी बोली के आधार पर ₹ 22.41 करोड़ के 62 अनुबन्धों का गठन और दोनो निविदादाताओं को ठेके दिये गये। सात जनपदों से सम्बन्धित ₹ 155.50 करोड़ लागत के 22 अनुबन्धों में, निविदादाता फर्म के साझेदार के रूप में सम्बन्धित थे।

(प्रस्तर 7.5)

अध्याय 8 – अनुबन्धों का गठन

निर्देशों के अनुसार, निविदा खुलने के 15 दिनों के अन्दर निविदाओं को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। जबकि लोक निर्माण अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से लम्बा समय दिया गया तथा 461 अनुबन्धों, लागत ₹ 3,017.35 करोड़, में निविदाओं को अन्तिम रूप देने में एक से 6 माह या इससे अधिक का विलम्ब किया गया था।

(प्रस्तर 8.1)

शासन द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति में कार्य को पूर्ण करने की समय–सीमा अंकित नहीं थी। अनुबन्धों पर हस्ताक्षर के समय, अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा मनमाने

ढंग से परियोजना के पूर्ण करने का समय तय किया गया एवं कार्यों का पूरा करने का अतिरिक्त समय देकर कुछ निश्चित ठेकेदारों को लाभ देने का फैसला लिया गया।

(प्रस्तर 8.4)

ठेकेदारों को 2,953 अनुबन्धों के सापेक्ष ₹ 7,535.78 करोड़ का बीमा आच्छादन करना था। जबकि, नमूना जाँच जनपदों में एक ठेकेदार के अलावा किसी भी ठेकेदार द्वारा बीमा अच्छादित नहीं किया गया था। इस प्रकार, ठेकेदारों को लगभग ₹ 1.71 करोड़ का लाभ मिला।

(प्रस्तर 8.11)

अध्याय 9 – अग्रिम, वसूली एवं भुगतान

नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011–16 की अवधि में अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा 23 ठेकेदारों को ₹ 36.14 करोड़ का भुगतान साइट पर लाये गये सामग्री के सापेक्ष ब्याज मुक्त सुरक्षित अग्रिम हेतु किया गया। जबकि अनुबन्ध की शर्तों में इस प्रकार के अग्रिम के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था।

(प्रस्तर 9.1)

वर्ष 2011–16 की अवधि में, 11 खण्डों ने अनियमित रूप से सामग्री के एकत्रीकरण के आधार पर 17 अनुबन्धों के सापेक्ष बिना मापी किये ठेकेदारों को ₹ 67.10 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया जबकि इस तरह के अग्रिम भुगतान करने के लिए अनुबन्ध में कोई प्रावधान नहीं था।

(प्रस्तर 9.2)

वर्ष 2011–16 की अवधि में नये उपकरणों के क्रय का साक्ष्य एवं अनुबन्धित कार्यों हेतु उनकी उपयोगिता के बिना ठेकेदारों को ₹ 204.97 करोड़ के उपकरण अग्रिम का भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 9.3)

ठेकेदारों के बिलों से रिटेंशन मनी ₹ 55.11 करोड़ की कटौती (ठेकेदारों से अनुबन्धित राशि का 5 प्रतिशत की दर से) नहीं की गयी एवं उनको अदेय लाभ पहुंचाया गया।

(प्रस्तर 9.5)

उपखनिज की बिक्री से प्राप्त राजस्व की हानि की जाँच तथा अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए, ठेकेदारों द्वारा रायल्टी के भुगतान के पूर्व खदानों से खनिज की खरीद के प्रमाण–पत्र के रूप में लोक निर्माण विभाग के खण्डों में ट्रेजरी चालानों की प्रतियाँ जमा करने की आवश्यकता थी। नमूना जाँच जनपदों में से किसी भी खण्ड द्वारा रायल्टी भुगतान के समर्थन में ठेकेदारों से ट्रेजरी चालानों की प्रतियॉ प्राप्त नहीं की गयीं।

(प्रस्तर 9.7.1)

प्राधिकृत स्रोत से रॉयल्टी तथा सामग्री के क्रय के समर्थन में एमएम–11 प्रपत्र के रूप में जमा नहीं करने वाले प्रकरणों में खण्ड ₹ 28.16 करोड़ का जुर्माना वसूल किये जाने में असफल थे।

(प्रस्तर 9.7.3)

अध्याय 10 – गुणवत्ता नियंत्रण, मानवशक्ति एवं प्रबन्धन सूचना प्रणाली

अधिकतर खण्डों में मार्ग निर्माण कार्यों में गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया गया क्योंकि खण्डों द्वारा निर्माण स्थलों से निर्धारित नमूने का केवल एक प्रतिशत एकत्र किया गया

और उसे परीक्षण हेतु क्वालिटी प्रमोशन सेल/अन्वेषणालय को भेजा गया। खण्डों द्वारा ठेकेदारों द्वारा कार्य स्थल पर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला की स्थापना भी सुनिश्चित नहीं की गयी। इस लिए, मार्ग निर्माण में गुणवत्तापूर्ण निर्माण का कोई आश्वासन नहीं था।

लोक निर्माण विभाग अन्वेषणालय/क्वालिटी प्रमोशन सेल एवं जिला प्रयोगशालायें निष्क्रिय पड़ी हुयी थीं क्योंकि इनमें परीक्षण के लिए खण्डों से नमूने प्राप्त नहीं किये गये।

(प्रस्तर 10.1.2, 10.1.4 एवं 10.1.5)

प्रमुख अभियन्ता के आदेशों की अनदेखी करते हुए खण्डों द्वारा गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट भेजने के लिए आग्रह किये बिना सभी चयनित कार्यों के लिए नमूना जाँच खण्डों के द्वारा बिलों का भुगतान (₹ 3,031.91 करोड़) किया गया। इसलिए खराब गुणवत्ता के सामग्री का उपयोग तथा खराब गुणवत्ता के कार्यों का निष्पादन किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(प्रस्तर 10.1.7)

विभाग में एक कुशल प्रबन्धन सूचना प्रणाली स्थापित नहीं थी। सड़क के डिजिटाइजेशन की सूचना भी पूर्ण नहीं थी। फलस्वरूप, मार्ग निर्माण कार्यों से सम्बन्धित सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं संचयीकरण का कार्य बहुत धीमा तथा अविश्वसनीय था, जो कि विभाग के कार्य प्रणाली में विपरीत प्रभाव डालता है।

(प्रस्तर 10.4 एवं 10.7)

अध्याय 11 – अनुबन्धों में विचलन

अभियन्त्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 547.72 करोड़ लागत के 355 कार्यों जिनमें 21 से 1,928 दिन तक का विलम्ब था, के सापेक्ष बिना लिक्विडेटेट डैमेज की राशि ₹ 52.24 करोड़ आरोपित किये समय–वृद्धि स्वीकृत किया जाना अनियमित था एवं इससे ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिला।

(प्रस्तर 11.1.1)

105 अनुबन्धों, लागत ₹ 35.61 करोड़, में मदों में विभिन्नता 16 से लेकर 2,519 प्रतिशत थी जिसमें विभिन्नता की राशि ₹ 20.14 करोड़ थी जोकि अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता द्वारा अपनी स्वीकृति सीमा 15 प्रतिशत से अधिक थी, को अनियमित रूप से स्वीकृतियाँ प्रदान की गयीं।

(प्रस्तर 11.2)

शासन द्वारा अनुमोदित आगणनों में सामान्य मदों जैसे वेट मिक्स मैकेडम, डेन्स बिटुमिनस मैकेडम तथा बिटुमिनस कंक्रीट को निविदा में शामिल नहीं किया गया था। वर्ष 2011–16 की अवधि में 92 अनुबन्धों (लागत ₹ 553.27 करोड़) में अतिरिक्त मद के रूप में स्वीकृत कर ₹ 35.66 करोड़ के कार्यों को सम्पादित किया गया। इसके अलावा बिना निविदा आमंत्रित किये 27 अन्य कार्यों में अतिरिक्त मद की राशि ₹ 6.53 करोड़ को अन्य अनुबन्धों के साथ कराकर सम्पादित किया गया जिसके लिए अतिरिक्त मद के रूप में भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 11.3.1 एवं 11.3.2)